123

[2019] 12 एस सी आर 123

/

मेसर्स मायावती ट्रेडिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

प्रद्युत देब बर्मन (2019 की सिविल अपील संख्या 7023) सितंबर 05,2019

/

[आर**.** एफ**.** नरीमन**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और सूर्या कान्ट**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-उप-धारा (6-ए) से एस।11 [संशोधन अधिनियम, 2015] और एस।11 [संशोधन अधिनियम, 2019]-का प्रभावः2019 के संशोधन अधिनियम के बाद,धारा 11 (6 ए) को हटा दिया गया है क्योंकि मध्यस्थों की नियुक्ति संस्थागत रूप से की जानी है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या पुरानी वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अब मध्यस्थों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है और इसके परिणामस्वरूप यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं।

/

/

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-उप-धारा (6-ए) से एस।11 [संशोधन अधिनियम, 2015]-का प्रभावःधारा 11 (6 ए) एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित है और इसे संकीर्ण अर्थों में समझा जाना चाहिए जैसा कि किया गया है।

/

निर्णय में ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम.गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729 पैरा 48 और 59 में।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्राचीन कला

एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2019) 5 एस. सी. सी. 362-खारिज।

/

ड्यूरो फेलगुएरा**,** एस**.** ए**.** बनामगंगावरम पोर्ट लिमिटेड**, (2017)**

9 एससीसी 729:[2017] 10 एस. सी. आर. 285; एस. बी. पी. एंड कंपनी बनामपटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्र। (2005) 8 एससीसी 618:[2005]

4 पूरक।एससीआर **688;** ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम एएनएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और एक अन्य**,**

/

(2018) 3 एससीसी 373:[2018] 2 एस. सी. आर. 598; गारवेयर दीवार

रोप्स लिमिटेड बनामतटीय समुद्री निर्माण और

इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 515-संदर्भित।

/

123 ए.

124 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

(2019) 5 एस**.** सी**.** सी**. 362**

खारिज कर दिया गया

पैरा **4**

[2017] 10 एससीआर **285**

संदर्भित

पैरा **4**

[2005] 4 पूरक।एससीआर **688**

संदर्भित

पैरा **7**

/

[2018] 2 एससीआर **598**

संदर्भित

पैरा **8**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 7023

2018 के ए. पी. सं. 565 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2019 के निर्णय और आदेश से।

/

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्पल मजूमदार, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री समतेन डोमा, अभिषेक ठकराल, साग्निक मजूमदार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सोनिया दुबे, सुश्री लाबण्यश्री सिन्हा, एस. चक्रवर्ती, सुश्री कंचन यादव, सुश्री सुरभी आनंद, भाव रतन (मैसर्स विक्टर मोसेस एंड एसोसिएट्स के लिए), अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. अनुमति दी गई।

/

2. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और प्रतिवादी की ओर से काफी देर तक उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान को सुना है।

3. इस मामले के तथ्यों पर, हम 12.03.2019 के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

/

4. हालाँकि, यह कहने के बाद, तर्क के दौरान, इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय की ओर इशारा किया गया था, जिसका नाम था, संयुक्त भारत।

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। प्राचीन कला निर्यात निजी

/

लिमिटेड, **(2019) 5** एस. सी. सी. **362**।इस निर्णय में, कथित रूप से निम्नलिखित

ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनामगंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एससीसी

729, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:“20. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील का निवेदन कि ए की धारा 11 में उप-धारा (6-ए) डालने के बाद

/

संशोधन अधिनियम, 2015 इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया गया है और न्यायालय का सीमित अधिदेश मध्यस्थता के अस्तित्व के तथ्य की जांच करना है और निर्णय पर भरोसा करना है।

ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनामगंगावरम पोर्ट लिमिटेड [(2017) 9 एस. सी. सी. 729:(2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 764] इसमें व्याख्या

निर्णय उन संशोधित प्रावधानों के प्रभाव के बारे अंतर्गत एक सामान्य अवलोकन है जिनकी जांच छह मध्यस्थ समझौतों (कार्यों के लिए पांच समझौते और एक कॉर्पोरेट गारंटी) के संदर्भ अंतर्गत की गई थी और प्रत्येक समझौते अंतर्गत मध्यस्थता का प्रावधान होता है और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के संदर्भ अंतर्गत पक्षों के बीच गंभीर विवाद था कि क्या प्रत्येक समझौते से संबंधित मध्यस्थता न्यायाधिकरण होना चाहिए।तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 में संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा शुरू की गई उप-धारा (6-ए) पर ध्यान दिया और उस संदर्भ में कहा कि प्रारंभिक विवादों की मध्यस्थ द्वारा जांच की जानी है और अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उपलब्ध सीमित दायरे के भीतर अदालत की जांच नहीं की जानी चाहिए। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थ की नियुक्ति एक न्यायिक शक्ति है और यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है जो कुछ हद तक न्यायिक हस्तक्षेप छोड़ता है; जब प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने के लिए प्रश्न की बात आती है, तो यह सुनिश्चित करना हमेशा आवश्यक है कि विवाद समाधान प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी न हो।

/

/

/

/

21. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, बिना किसी आपत्ति या विरोध के और दावे को अंततः समझौते और संतुष्टि के साथ निपटाने के बाद, प्रथम दृष्टया कोई विवाद कायम नहीं रहा और दावे के निपटारे के 11 सप्ताह बाद पहली बार विरोध के रूप में एक पत्र आईडी1 पर भेजा गया कि निर्वहन वाउचर पर अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए थे और इसके अभाव में कोई सहायक प्रथम दृष्टया सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। "5. धारा 11 (6 ए) को 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और निम्नानुसार कहा गया हैः

/

/

“11. (6 क) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय , उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय या

/

उप-धारा (5) या उप-धारा (6), किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय , डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित रहेगी। "

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने बताया है कि 2019 के एक संशोधन अधिनियम द्वारा, जो तब से पारित किया गया है, इस उप-धारा को अब हटा दिया गया है।2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 3 जहां तक इस चूक से संबंधित है, अभी तक लागू नहीं की गई है।यह चूक न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में भारत में मध्यस्थता के संस्थागतकरण के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा के अनुसार है।इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट 30 जुलाई, 2017 की है।उप-धारा को हटाना इस तरह से नहीं है कि 2015 के संशोधन अधिनियम से पहले प्रचलित विधि को पुनर्जीवित किया जा सके।धारा 11 (6 ए) को हटाने का कारण रिपोर्ट में इस प्रकार दिया गया है:

/

/

“इस प्रकार, धारा 11 में 2015 के संशोधन धारा 11 के आवेदनों के त्वरित निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किए गए हैं:(ए) धारा 11 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अलावा मध्यस्थों के लिए नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में किसी भी व्यक्ति या संस्थान को नामित करना; (बी) नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती देना सीमित करना; और (सी) धारा 11 के आवेदनों के त्वरित निपटान की आवश्यकता, अधिमानतः निर्धारित 60-दिवसीय समय अवधि के भीतर।

/

हालांकि ये संशोधन निस्संदेह धारा 11 के आवेदनों के त्वरित निपटान को काफी हद तक सुविधाजनक बनाते हैं, लेकिन वे न्यायालय के हस्तक्षेप को सीमित करने में पूरी तरह से नहीं जाते हैं।संशोधनों के अनुसार, धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति की जा सकती है:(क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा; या (ख) धारा 11 (6 ख) के बाद प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था द्वारा।दोनों ही मामलों में, संशोधनों के लिए अभी भी सर्वोच्च न्यायालय /उच्च न्यायालय को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है, जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया में देरी हो सकती है क्योंकि उस पर व्यापक साक्ष्य और तर्क दिए जा सकते हैं।

/

/

समिति ने नोट किया कि अन्य क्षेत्राधिकारों में मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया में भारत की तरह व्यापक न्यायालय की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है।

/

उदाहरण के लिए, सिंगापुर में, आई. ए. ए. के प्रासंगिक प्रावधान में प्रावधान है कि जहां पक्ष तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो पहले ए की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर।

/

127

मेसर्स मायावती ट्रेडिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.प्रद्युत देब बर्मन [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध करने पर, नियुक्ति प्राधिकरण (एस. आई. ए. सी. के अध्यक्ष) द्वारा पक्षों के अनुरोध पर की जाएगी।(धारा 2 (1) और 8 (2), आई. ए. ए. के साथ पठित धारा 9 ए (2) देखें।

हांगकांग के मध्यस्थता विधि में मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित UNCITRAL मॉडल विधि के अनुच्छेद 11 को शामिल किया गया है।सिंगापुर के मामले की तरह जहां एस. आई. ए. सी. मध्यस्थों की नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण है, मध्यस्थों की डिफ़ॉल्ट नियुक्ति एच. के. आई. ए. सी. द्वारा की जाती है। (धारा 13 (2) धारा 24, ए. ओ. के साथ पठित)

/

यूनाइटेड किंगडम में, एक पक्ष द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने में चूक के मामले में, दूसरा पक्ष अपने मध्यस्थ को 7 स्पष्ट दिनों की सूचना देने के बाद एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकता है। (धारा 17, ए. ए.) चूक करने वाला पक्ष नियुक्ति को रद्द करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।(धारा 17 (3), एए) नियुक्ति प्रक्रिया की विफलता के मामले में, कोई भी पक्ष नियुक्ति करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है या नियुक्ति करने के संबंध में निर्देश दे सकता है।(धारा 18 (2), ए. ए.) समिति भारतीय परिदृश्य में सिंगापुर और हांगकांग में अपनाई जाने वाली प्रथा को अपनाने की सिफारिश करती है-न्यायालय के स्तर पर देरी से बचने के अलावा, यह संस्थागत मध्यस्थता को भी बढ़ावा दे सकता है।

/

/

/

XXX XXX

सिफारिशें

1. मध्यस्थों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए, धारा 11 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में) या उच्च न्यायालय (अन्य सभी मध्यस्थता के मामले में) द्वारा नामित मध्यस्थ संस्था (संस्थाओं) द्वारा की जाएगी, बिना किसी मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ों की आवश्यकता के। "

/

/

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि 2019 के संशोधन अधिनियम के बाद, धारा 11 (6 ए) को हटा दिया गया है क्योंकि मध्यस्थों की नियुक्ति संस्थागत रूप से की जानी है, इस मामले में पुरानी वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को अब मध्यस्थों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है और इसके परिणामस्वरूप यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं।

/

128

/

[2019] 12 एस सी आर।

7. धारा 11 (6 ए) से पहले, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में शुरुआत की

एस. बी. पी. एंड कंपनी बनामपटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्न। (2005) 8 एस. सी. सी.

618 इसने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 11 (6) आवेदन दायर किए जाने के चरण में, न्यायालय को न केवल एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने के लिए खुद को सीमित रखने की आवश्यकता है, बल्कि कुछ प्रारंभिक प्रश्नों जैसे कि पुराने दावे, समझौता और संतुष्टि आदि में भी जा सकता है।

/

8. ओ**.** एन**.** जी**.** सी**.** मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम ए**.** एन**.** एस**.** कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और एक अन्य मामले**, (2018) 3** एस**.** सी**.** सी**. 373** में**,** इस न्यायालय ने

धारा 11 (6 ए) के सम्मिलन से पहले उत्पन्न हुए मामले ने धारा 11 की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि समझौता और संतुष्टि निम्नलिखित शर्तों में हुई थीः-

/

“31. मान लीजिए, अनुबंधकर्ता कंपनी द्वारा 21-9-2012 पर नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जमा किया गया था और उनके अनुरोध पर अपीलकर्ता ठेकेदार द्वारा पूरा होने का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। संविदाकारी ने एक महीने के अंतराल के बाद, यानी <ID2 पर, जबरदस्ती और दबाव के आधार पर बकाया प्रमाणपत्र वापस ले लिया और अनुबंध स्थल के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान का दावा दिनांकित 12-1-2013 के पत्र के माध्यम से किया गया था, यानी साढ़े तीन महीने के अंतराल के बाद जबकि अंतिम बिल का निपटान 10-10-2012 पर किया गया था।जब संविदाकारी ने अपने सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में अंतिम भुगतान स्वीकार कर लिया, तो विलंबित चरण में अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए दावा करने का कोई मतलब नहीं है, जो इस बात पर संदेह पैदा करता है कि अंतिम बिल जमा करते समय इस तरह के दावे का निपटारा क्यों नहीं किया गया, वह भी अपीलकर्ता द्वारा संविदाकारी पर दबाव या जबरदस्ती के अभाव में।हमारे सुविचारित विचार में, संविदाकारी कंपनी द्वारा उठाई गई याचिका किसी भी विवरण और विवरण से रहित है, और एक गंजे दावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है।इन परिस्थितियों में, दावे का पूर्ण और अंतिम समाधान था और वास्तव में सहमति और संतुष्टि थी और हमारे विचार में कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद नहीं था ताकि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जा सके। इसलिए, उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं था।

/

/

/

/

9. 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इनमें से कुछ निर्णयों पर विचार किया गया और महसूस किया गया कि धारा 11 (6) के आवेदन के स्तर पर, मध्यस्थता समझौते के केवल "अस्तित्व" पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि अन्य प्रारंभिक मुद्दों पर।इस न्यायालय के हाल के एक निर्णय में, ए

/

129

मेसर्स मायावती ट्रेडिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.प्रद्युत देब बर्मन [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनामतटीय समुद्री निर्माण और

इंजीनियरिंग लिमिटेड**, (2019** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 515),** इस न्यायालय ने उक्त विधि आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया और कहा**:-**

“14. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत मामला विधि , जैसा कि यह संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले था, एक चेकर था।

इतिहास.कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाममेहूल

/

निर्माण कंपनी, (2000) 7 एस. सी. सी. 201 ["कोंकण रेलवे I"], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां प्रशासनिक प्रकृति की हैं, और यह कि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है।कोंकण में भी यही विचार दोहराया गया था।

/

रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनामरानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, (2002)

2 एससीसी 388 ["कोंकण रेलवे II"]।

15. हालांकि, एस. बी. पी. एंड कंपनी (उपरोक्त) में, सात-न्यायाधीशों की पीठ ने इस विचार को खारिज कर दिया और कहा कि धारा के अंतर्गत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति न्यायिक है न कि प्रशासनिक।सात न्यायाधीशों की पीठ के निष्कर्षों को उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 47 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था।हम सीधे उप-पैराग्राफ (i), (iv) और (xii) से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैंः

/

“ (i) अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति नहीं है।यह एक न्यायिक शक्ति है।XXX XXX XXX

/

((iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को इस निर्णय के पूर्व भाग में बताए गए प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।ये अनुरोध, एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, एक जीवित दावे के अस्तित्व या अन्यथा, अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्त के अस्तित्व और मध्यस्थ या मध्यस्थों की योग्यताओं पर विचार करने के लिए उनकी अपनी अधिकारिता होगी। मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम की धारा 11 (8) के संदर्भ में योग्य मध्यस्थ को नामित करने के मामले में किसी संस्था की राय लेने का अधिकार होगा, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश केवल मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश का ही हो सकता है।

/

/

XXX XXX XXX

/

130 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

(xii) कोंकण रेलवे में निर्णय। कॉर्प.लिमिटेड वी.रानी

कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड [(2002) 2 एस. सी. सी. 388] को खारिज कर दिया गया है। "

16. बोघरा पॉलीफैब (ऊपर) में इस स्थिति को आगे इस प्रकार स्पष्ट किया गया हैः

“22. जहां धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप मांगा जाता है, वहां मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति का कर्तव्य एस. बी. पी. एंड कंपनी [(2005) 8 एस. सी. सी. 618] में परिभाषित किया गया है।इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक आवेदन में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक मुद्दों की पहचान की और उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया, अर्थात्, (i) ऐसे मुद्दे जिन पर मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति निर्णय लेने के लिए बाध्य है; (ii) ऐसे मुद्दे जो वह भी तय कर सकता है, यानी ऐसे मुद्दे जो वह तय करने के लिए चुन सकता है; और (iii) ऐसे मुद्दे जो निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिए जाने चाहिए।

/

/

22.1.जिन मुद्दों (पहली श्रेणी) पर मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को निर्णय लेना होगा, वे हैंः

/

(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या वह पक्ष जिसने अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आवेदन किया है, इस तरह के समझौते का एक पक्ष है।

/

22.2.जिन मुद्दों (दूसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति तय करने के लिए चुन सकता है (या उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ सकता है) वे हैंः

/

(क) क्या दावा एक मृत (लंबे समय से प्रतिबंधित) दावा है या एक जीवित दावा है।

(ख) क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है।

/

22.3.जिन मुद्दों (तीसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना चाहिए, वे हैं:(i) क्या किया गया दावा मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो ए के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है।

/

131

मेसर्स मायावती ट्रेडिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.प्रद्युत देब बर्मन [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

विभागीय प्राधिकरण और मध्यस्थता से अपवाद या बहिष्कृत)।

((ii) मध्यस्थता में शामिल गुण या कोई दावा। "

17. इन निर्णयों के परिणामस्वरूप, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के लिए बड़ी संख्या में प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए दरवाजे खुले थे, जिन्हें अन्यथा 1996 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जा सकता था। परिणामस्वरूप, भारत के विधि आयोग ने अगस्त 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट संख्या 246 द्वारा सुझाव दिया कि 1996 के अधिनियम में विभिन्न व्यापक परिवर्तन किए जाने चाहिए। जहां तक एस. बी. पी. एंड कंपनी (उपरोक्त) और बोघरा पॉलीफैब (उपर्युक्त) का संबंध है, विधि आयोग ने मामले की जांच की और धारा 11 में एक नई उप-धारा, अर्थात् उप-धारा (6 ए) को जोड़ने की सिफारिश की।ऐसा करने में, विधि आयोग की सिफारिशें जो प्रासंगिक हैं और जिनके कारण धारा 11 (6 ए) को लागू किया गया, वे इस प्रकार हैं:

/

/

/

“28. अधिनियम उन स्थितियों को मान्यता देता है जहां न्यायालय के हस्तक्षेप की परिकल्पना पूर्व-मध्यस्थ स्तर पर की जाती है, यानी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले, जिसमें भाग I मध्यस्थता के मामले में धारा 8,9,11 और भाग II मध्यस्थता के मामले में धारा 45 शामिल हैं।"मध्यस्थता के संदर्भ" और "न्यायाधिकरण की नियुक्ति" से संबंधित धारा 8,45 और धारा 11 भी न्यायाधिकरण के गठन और मध्यस्थता कार्यवाही के कामकाज को सीधे प्रभावित करती हैं। इसलिए, उनके संचालन का मध्यस्थता के "आचरण" पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। धारा 9, केवल अंतरिम राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से होने के कारण, हालांकि पक्षों के अधिकारों

को प्रभावित करने की क्षमता होने के कारण, इन अन्य प्रावधानों की तरह मध्यस्थता के "आचरण" को प्रभावित नहीं करती है।इस संदर्भ में आयोग ने इन प्रावधानों के कार्यकरण की जांच और विचार-विमर्श किया है और कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया है।

/

/

29. उच्चतम न्यायालय को विशेष विरचित से अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में अनुमेय पूर्व-मध्यस्थ न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और प्रकृति पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला है। दुर्भाग्य से, हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न इस संदर्भ में तैयार किया गया था कि क्या ऐसी शक्ति एक "न्यायिक" या एक "प्रशासनिक" शक्ति है-जो इस तरह के नामकरण/विवरण में अंतर्निहित वास्तविक मुद्दे को अस्पष्ट करती है -

/

/

132

/

[2019] 12 एस सी आर।

-ऐसी शक्तियों का दायरा-यानी उन तर्कों का दायरा जिन पर एक न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) यह तय करते समय विचार करेगा कि मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए या नहीं-यानी कि क्या मध्यस्थता समझौता मौजूद है, क्या यह अमान्य है, क्या यह अमान्य है आदि।; और इनमें से किसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिए।

/

-इस तरह के हस्तक्षेप की प्रकृति-अर्थात न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) एक विस्तृत परीक्षण पर मुद्दों पर विचार करेगा और क्या उनका अंत में निर्णय लिया जाएगा या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाएगा।

30. एस. बी. पी. बनाम पटेल इंजीनियरिंग, (2005) 8 एस. सी. सी. 618 में निर्णय में समाप्त होने वाले मामलों की एक श्रृंखला के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति एक "न्यायिक" शक्ति है।हस्तक्षेप के दायरे से संबंधित इस निर्णय में अंतर्निहित मुद्दों को बाद में रवींद्रन द्वारा स्पष्ट किया गया था

/

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में जे. बनामबोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड,

(2009) 1 एस. सी. सी. 267, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया -

/

“1. जिन मुद्दों (पहली श्रेणी) पर मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को निर्णय लेना होगा, वे हैं:

(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है?

/

(ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आवेदन करने वाला पक्ष इस तरह के समझौते का पक्षकार है?

2. जिन मुद्दों (दूसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति तय करने के लिए चुन सकता है, वे हैं:

/

(क) क्या दावा एक मृत (लंबे समय से वर्जित) दावा है या एक जीवित दावा है?

(ख) क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है?

/

3. जिन मुद्दों (तीसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ना चाहिए, वे हैं:

(क) क्या कोई दावा मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो विभागीय प्राधिकरण के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है और जिसे मध्यस्थता से अलग या बाहर रखा गया है)?

/

133

मेसर्स मायावती ट्रेडिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.प्रद्युत देब बर्मन [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

(ख) मध्यस्थता में शामिल किसी भी दावे के गुण-दोष। "31. आयोग का विचार है कि, इस संदर्भ में, न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और प्रकृति के बारे में वही परीक्षण, जो धारा 11 के संदर्भ में लागू होता है, अधिनियम की धारा 8 और 45 पर भी लागू होना चाहिए-क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा और प्रकृति इस बात पर नहीं बदलनी चाहिए कि क्या कोई पक्ष (मध्यस्थता समझौते को विफल करने का इरादा रखता है) मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करता है, या इस तरह के मध्यस्थता समझौते के सामने न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही करता है। 32. हस्तक्षेप की प्रकृति के संबंध में, विधि की व्याख्या शिन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पाई जाती है।

/

/

/

एत्सु केमिकल्स कं. लिमिटेड बनामअक्ष इष्टतम, (2005) 7 एस. सी. सी. 234,

(अधिनियम की धारा 45) के संदर्भ में, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मुद्दों/विवाद को केवल प्रथम दृष्टया देखने के पक्ष में फैसला सुनाया है।

33. इस संदर्भ में आयोग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है।न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल उन स्थितियों तक सीमित है जहां न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण को पता चलता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है।जहाँ तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा, जैसा भी मामला हो।संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा जब वह पाएगा कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है।यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को अंततः मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा।हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं।संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक निर्णायक निर्धारण होगा कि मध्यस्थता समझौता अमान्य है या नहीं।यदि न्यायिक प्राधिकारी क्रमशः धारा 8 और 11 के अंतर्गत विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है और/या मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, तो ऐसा निर्णय अंतिम और गैर-अपील योग्य होगा।याचिका दायर की जा सकती है

/

/

/

/

/

धारा 37 के अंतर्गत केवल मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करने या मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करने की स्थिति में रखा जाता है। "

18. विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, धारा 11 (6 ए) को पहले अध्यादेश द्वारा और फिर संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा पेश किया गया था।मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसमें संशोधन अधिनियम, 2015 पेश किया गया था, में जो उद्देश्य और कारणों का विवरण जोड़ा गया था, वह इस प्रकार हैः

/

“उद्देश्यों और कारणों का विवरण XXX

/

6. मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को बदलने के लिए मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 पेश करने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(i) "न्यायालय " की परिभाषा में संशोधन करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, न्यायालय उच्च न्यायालय होना चाहिए;

/

((ख) यह सुनिश्चित करना कि कोई भारतीय न्यायालय अंतरिम उपाय आदि प्रदान करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत से बाहर हो।

/

((iii) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन का निपटारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, जितनी जल्दी हो सके किया जाएगा और साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाना चाहिए; (iv) यह प्रावधान करने के लिए कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा, न कि अन्य मुद्दों की।

/

(v) यह उपबंध करने के लिए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्देश पर प्रवेश करने की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर अपना निर्णय देगा और पक्षकार, हालांकि, ऐसी अवधि को छह महीने तक बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद कोई विस्तार केवल न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण पर ही दिया जा सकता है;

/

(vi) यह उपबंध करना कि एक आदर्श शुल्क अनुसूची जिसके आधार पर उच्च न्यायालय निर्धारण के उद्देश्य के लिए नियम बना सकते हैं

/

135

मेसर्स मायावती ट्रेडिंग पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.प्रद्युत देब बर्मन [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

माध्यस्थम न्यायाधिकरण की फीस, जहां एक उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति करता है;

(vii) यह प्रावधान करना कि विवाद करने वाले पक्ष किसी भी स्तर पर लिखित रूप में सहमत हो सकते हैं कि उनके विवाद को त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाए और ऐसे मामलों में निर्णय छह महीने की अवधि के भीतर किया जाए;

/

(viii) मध्यस्थों की तटस्थता का प्रावधान करना, जब मध्यस्थ के रूप में संभावित नियुक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति से संपर्क किया जाता है;

(ix) पुरस्कार को चुनौती देने के लिए उस आवेदन को न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना है।

/

7. विधेयक में प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थता प्रक्रिया अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी हो और मामलों का त्वरित निपटान हो।

XXX XXX "

/

19. विधि आयोग की रिपोर्ट को उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ पढ़ने से पता चलता है कि विधि आयोग ने महसूस किया कि एस. बी. पी. एंड कंपनी (ऊपर) और बोघरा पॉलीफैब (ऊपर) के निर्णयों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप, जहां तक धारा 11 का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय , धारा 11 (4) से 11 (6) के अंतर्गत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय खुद को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित रखना है और अन्य सभी प्रारंभिक मुद्दों को मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ देना है। "

/

10. यह स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा 2015 के संशोधन से पहले का विधि , जिसमें यह जानना शामिल होता कि क्या समझौता और संतुष्टि हुई है, अब विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है।यह स्थिति होने के कारण, उपरोक्त निर्णय में निहित तर्क से सहमत होना मुश्किल है क्योंकि धारा 11 (6 ए) एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित है और इसे संकीर्ण अर्थों में समझा जाना चाहिए जैसा कि निर्णय ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. (ऊपर) में निर्धारित किया गया है-पैरा 48 और 6 ए देखें।59.

/

/

11. इसलिए, हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णय को सही विधि निर्धारित नहीं करने के रूप में खारिज करते हैं, लेकिन उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए कारण के लिए इस अपील को खारिज करते हैं।

/

136

/

[2019] 12 एस सी आर।

12. श्री रोहतगी अब हमसे निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए यथास्थिति आदेश को आज से एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध करते हैं ताकि वह अन्य कार्यवाही अपना सकें।यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है।

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/

/

/

/

/

/